भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1793

16 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

ई-केवाईसी सत्यापित राशन कार्ड

1793 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 अक्तूबर, 2025 तक ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड के प्रतिशत और वास्तविक संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने वाले राशन कार्ड धारी लाभार्थियों के प्रतिशत और संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य योजनाओं के अंतर्गत नए राशन कार्डों या परिवार के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए लंबित आवेदनों का कोई बैकलॉग है; और

(घ) यदि हाँ, तो लंबित आवेदनों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक ई-केवाईसी पूरा करने वाले एनएफएसए लाभार्थियों के राज्यवार प्रतिशत और संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है। जहां तक पात्र परिवारों को चिह्नित करना, राशन कार्ड जारी करना, राशन कार्ड में आधार को जोड़ना और खाद्यान्न वितरण जैसी प्रचालनात्मक संबंधी जिम्मेदारी का प्रश्न है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इसके लिए उत्तरदायी हैं। इस विभाग द्वारा लंबित मामलों की सूची नहीं रखी जाती है।

******

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1793 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक ई-केवाईसी पूरा करने वाले एनएफएसए लाभार्थियों का राज्यवार प्रतिशत और संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएसए के तहत राशन कार्डों (आरसी) की संख्या	एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की संख्या (क)	एनएफएसए के तहत उन लाभार्थियों की संख्या जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है (ख)	एनएफएसए के तहत लाभार्थियों का वह प्रतिशत जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है (%)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,992	61,261	60,932	99.5%
2	आंध्र प्रदेश	88,37,973	2,68,23,200	2,50,59,919	93.4%
3	असम	70,33,972	2,44,94,885	2,07,38,508	84.7%
4	अरुणाचल प्रदेश	1,86,417	8,51,047	4,55,291	53.5%
5	बिहार	2,08,36,105	8,32,20,904	6,51,44,413	78.3%
6	चंडीगढ़ (डीबीटी)	82,850	3,41,954	3,32,148	97.1%
7	छत्तीसगढ	56,18,976	1,98,49,313	1,72,65,202	87.0%
8	दिल्ली	17,40,621	72,77,995	59,12,891	81.2%
9	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	57,781	2,65,160	2,12,253	80.0%
10	हरियाणा	42,11,814	1,64,32,686	91,66,316	55.8%
11	हिमाचल प्रदेश	7,40,855	28,25,555	27,49,841	97.3%
12	गोवा	1,22,279	4,46,965	3,38,861	75.8%
13	गुजरात	75,83,635	3,52,78,131	3,20,67,896	90.9%
14	जम्मू एवं कश्मीर	16,60,400	67,40,632	58,78,557	87.2%
15	झारखंड	60,30,329	2,62,98,890	2,00,82,241	76.4%
16	कर्नाटक	1,09,13,532	3,98,69,604	3,96,91,980	99.6%
17	केरल	42,42,928	1,45,80,356	1,44,01,091	98.8%
18	लद्दाख	28,880	1,13,349	1,13,349	100.0%
19	लक्षद्वीप	4,629	20,179	17,674	87.6%
20	मध्य प्रदेश	1,31,86,400	5,35,08,215	4,94,22,460	92.4%
21	महाराष्ट्र	1,67,85,945	6,83,22,243	4,03,74,787	59.1%
22	मणिपुर	5,82,335	21,15,890	1,15,371	5.5%
23	मेघालय	4,21,888	21,45,105	8,40,140	39.2%
24	मिजोरम	1,79,564	7,06,210	5,67,687	80.4%
25	नगालैंड	3,33,943	11,78,425	9,02,732	76.6%
26	पुडुचेरी (डीबीटी)	1,91,253	6,34,390	3,43,134	54.1%
27	राजस्थान	1,09,43,305	4,43,98,244	4,13,40,735	93.1%
28	सिक्किम	97,081	3,80,556	3,13,915	82.5%
29	तमिलनाडु	1,17,14,899	3,60,00,980	3,20,94,193	89.1%
30	तेलंगाना	56,46,580	1,91,69,600	1,66,18,534	86.7%
31	त्रिपुरा	6,03,764	23,44,930	19,34,861	82.5%
32	पंजाब	40,50,878	1,51,67,073	1,30,97,735	86.4%
33	ओडिशा	96,48,379	3,25,41,555	3,09,41,730	95.1%
34	उत्तराखंड	13,97,689	60,80,620	25,20,196	41.4%
35	उत्तर प्रदेश	3,62,02,876	14,57,02,235	13,14,15,709	90.2%
36	पश्चिम बंगाल	1,37,30,496	5,99,14,052	5,89,62,690	98.4%
	कुल	**20,56,69,243**	**79,61,02,389**	**68,14,95,972**	**85.6%**